

29/8/24 का पत्र था।

29/8/24

पत्रावली पेश की गयी थी। पत्रावली अनुपस्थित
 पत्रावली वर्ष 2019 से शामिल में लम्बित
 उक्त वर्ष पत्रावली को शामिल पूर्व नहीं
 करवायी जा चुकी है जो कि अलवक्त
 समय से अलवक्त उपलब्ध भी शामिल
 करवाये गये हैं ना ही पेश किया गया
 है। अतः पत्रावली अनर्गल अर्द्ध
 GRS जो-दी के नए नलबी के अक्षर
 में अनुपस्थित खारिज किया जानी है।
 पत्रावली कैसल शुभान एंगर बाद नलबी
 दारिजल दूकन हो। आदेश खुले
 न्यायालय में सुनाया गया।

अपरखण्ड अधिकारी
 साँभर लोक